भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3298

जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम

3298. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वकालत के शुरुआती वर्षों के दौरान युवा अधिवक्ताओं के सामने आने वाली वित्तीय और पेशेवर चुनौतियों का कोई आकलन किया है और यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या प्रस्तावित अधिवक्ता विधेयक में नव नामांकित अधिवक्ताओं के लिए मासिक वृत्ति, कौशल विकास कार्यक्रमों, कानूनी सहायता प्रोत्साहन, ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण, या अन्य वित्तीय सहायता के प्रावधान शामिल हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का अधिवक्ताओं के मानसिक स्वास्थ्य सहायता और सेवानिवृत्ति लाभ सहित उनके कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति आरंभ करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं:

(घ) क्या विधेयक के अधिनियमन के बाद इन कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और देश में अधिवक्ताओं के पेशेवर कल्याण और आर्थिक सुरक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : सरकार युवा अधिवक्ताओं की एक बड़ी संख्या को व्यवसाय के आरंभिक वर्षों के दौरान होने वाली वित्तीय और वृत्तिक कठिनाइयों के प्रति सचेत है । इस संबंध में, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन विधिक व्यवसाय के लिए एक विनियामक निकाय, भारतीय विधिज्ञ

परिषद् (बीसीआई) ने परिपत्र संख्या बीसीआई: डी: 5383/2024 तारीख 15 अक्टूबर 2024 के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक वृत्तिका 20,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए 15,000 रुपये की सिफारिश की है, जो साधारणतया नियुक्ति की तारीख से कम से कम तीन वर्ष के लिए है । मानसिक स्वास्थ्य सहायता और सेवानिवृत्ति लाभों सहित अधिवक्ताओं के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के पास एक राष्ट्रीय नीति आरंभ करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अधिवक्ताओं का कल्याण अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 द्वारा शासित है, जिसके अधीन संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् राज्य अधिवक्ता कल्याण निधि का प्रशासन करती हैं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सशक्त हैं । इसके अलावा, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 6(2) और धारा 7(2) के अनुसार वियमान प्रावधानों के अधीन, राज्य विधिज्ञ परिषद् और भारतीय विधिज्ञ परिषद्, क्रमशः, निर्धन, नि:शक्त या अन्य अधिवक्ताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए विहित रीति में एक या अधिक निधियां गठित करने के लिए सशक्त हैं ।
